

श्रीक समा/राज्य समा के फटन प्र  
इस जाने वाले कागजात.

"अविप्रकाशित"

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

मणि शंकर अय्यर  
मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस  
और नवीकरणीय स्रोत  
भारत सरकार, नई दिल्ली

REGD. NO. D.L.-33004/99

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]

No. 554]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2004/अग्रहायण 25, 1926

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 2004/AGRAHAYANA 25, 1926

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 813(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2004 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में

(i) नियम 10 में, "दो" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) नियम 22 के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार अपनी अनुज्ञप्ति या पट्टे के अवधारण, रद्दकरण या त्यजन के पश्चात् ऐसे क्षेत्र से किसी पेट्रोलियम, सभी भंडारों, उपकरण, औजारों, मशीनरी को तत्काल हटाएगा और उसका व्ययन करेगा" ।

Rules, 2004

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the  
Gazette [फ. सं. आ-11011/1/97-ओपनजी-IV]

to the Petroleum and Natural Gas (Amendment)

संज्ञक जारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 24 नवम्बर, 1959 की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 1288 के तहत प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए हैं :-

1. सं० सा.का.नि. - 842, तारीख 30 मई, 1964 ।
2. सं० सा.का.नि. - 339, तारीख 26 फरवरी, 1965 ।
3. सं० सा.का.नि. - 371, तारीख 19 मार्च, 1966 ।
4. सं० सा.का.नि. - 1868, तारीख 24 सितम्बर, 1968 ।
5. सं० सा.का.नि. - 792, तारीख 3 मार्च, 1969 ।
6. सं० सा.का.नि. - 161(अ), तारीख 3 फरवरी, 1973 ।
7. सं० सा.का.नि. - 398, तारीख 4 अप्रैल, 1973 ।
8. सं० सा.का.नि. - 684, तारीख 5 मई, 1976 ।
9. सं० सा.का.नि. - 792(अ), तारीख 8 सितम्बर, 1976 ।
10. सं० सा.का.नि. - 1457 (अ), तारीख 22 नवम्बर, 1979 ।
11. सं० सा.का.नि. - 211 (अ), तारीख 26 मार्च, 1981 ।
12. सं० सा.का.नि. - 1034 (अ), तारीख 25 अगस्त, 1986 ।
13. सं० सा.का.नि. - 867, तारीख 29 सितम्बर, 1987 ।
14. सं० सा.का.नि. - 296 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 1989 ।
15. सं० सा.का.नि. - 108 (अ), तारीख 18 फरवरी, 1991 ।
16. सं० सा.का.नि. - 761 (अ), तारीख 10 सितम्बर, 1992 ।
17. सं० सा.का.नि. - 51 (अ), तारीख 5 फरवरी, 1993 ।
18. सं० सा.का.नि. - 686 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 1994 ।
19. सं० सा.का.नि. - 152 (अ), तारीख 27 मार्च, 1996 ।
20. सं० सा.का.नि. - 295 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003 ।

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2004

G.S.R. 813(E).—In exercise of powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely:-

## 1. Short title and commencement.

- (i) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 2004.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959,

- (i) in rule 10, the word "two" shall be deleted;

(ii) in rule 22, for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:-

“(5) The licensee or lessee after determination, cancellation or relinquishment of his license or lease shall immediately remove and dispose of any petroleum, all stores, equipment, tools, machinery from such area”

[F. No. O-11011/1/97-ONG-IV]

SUNJOY JOSHI, Jt. Secy.

Note:—

The principal rules were published vide Notification No. GSR 1288 dated the 24<sup>th</sup> November, 1959, in the Gazette of India Part II Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide following notifications:-

1. No. GSR-842 dated the 30<sup>th</sup> May, 1964.
2. No. GSR-339, dated the 26<sup>th</sup> February, 1965.
3. No. GSR-371, dated the 19<sup>th</sup> March, 1966
4. No. GSR-1868, dated the 24<sup>th</sup> September, 1968
5. No. GSR-792, dated the 3<sup>rd</sup> March, 1969
6. No. GSR-161 (E), dated the 3<sup>rd</sup> February, 1973
7. No. GSR-398, dated the 4<sup>th</sup> April, 1973
8. No. GSR-684, dated the 5<sup>th</sup> May, 1976
9. No. GSR-792 (E), dated the 8<sup>th</sup> September, 1976
10. No. GSR-1457 (E), dated the 22<sup>nd</sup> November, 1979
11. No. GSR-211 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1981
12. No. GSR-1034 (E), dated the 25<sup>th</sup> August, 1986
13. No. GSR-867, dated the 29<sup>th</sup> September, 1987
14. No. GSR-296 (E), dated the 17<sup>th</sup> April, 1989
15. No. GSR-108 (E), dated the 18<sup>th</sup> February, 1991
16. No. GSR-761 (E), dated the 10<sup>th</sup> September, 1992
17. No. GSR-51 (E), dated the 5<sup>th</sup> February, 1993
18. No. GSR-686 (E), dated the 12<sup>th</sup> September, 1994
19. No. GSR-152 (E), dated the 27<sup>th</sup> March, 1996
20. No. GSR-295 (E), dated the 1<sup>st</sup> April, 2003

(ग) 25<sup>वां</sup> अप्रैल

द्वारा 25<sup>वां</sup> मार्च

(क) अधिसूचना

नं. 16, दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 814(अ).— केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 6क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन देशों को उपोत्तरित करती है, जिन पर खनिज तेलों, अर्थात् कच्चे तेल, केसरणीय द्रवण और प्राकृतिक गैस के संबंध में स्वामित्व संदेय होगा और उक्त अधिनियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और उससे संबंधित प्रविष्टियों को नीचे विनिर्दिष्ट तारीखों से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात्—

अनुसूची  
(धारा 6क देखें)  
स्वामिस्व की दरें

1. कच्चा तेल

(1) नई खोज अनुज्ञप्ति नीति (एनईएलपी) व्यवस्था से बाहर के क्षेत्रों से उत्पादन  
क. नामनिर्देशन खंड

(i) 1.4.1993 से 31.3.1996 : 539.20 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से

(ii) 1.4.1996 से 31.3.1998 : 603.95 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से

ख. राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) को नामांकन के आधार पर दिए गए क्षेत्रों, नई खोज अनुज्ञप्ति नीति से पूर्व निजी/संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को दिए गए खोज खंडों और निजी/संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को भूमि पर खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन :

(i) 1.4.1998 से 31.3.2002 : संलग्न विवरण के अनुसार प्रति मीट्रिक टन की मासिक औसत दर ;

(ii) 1.4.2002 से

(क) भूमि पर के क्षेत्र : कूप मुख कीमत के 20% की दर पर

(ख) उथला जल अपतटीय क्षेत्र (400 मीटर तक की जल गहराई) :  
कूप मुख कीमत के 10% की दर से

(ग) गहरा जल अपतटीय क्षेत्र (400 मीटर से अधिक की जल गहराई) :

वाणिज्यिक उत्पादन के प्रस्ताव पहले 7 वर्ष के दौरान कूप मुख कीमत के 5% की दर पर और अन्य अवधियों के दौरान उथला जल क्षेत्रों (400 मीटर तक की जल गहराई) को लागू सामान्य दरों पर ।

(घ) 25° एपीआई या कम डिग्री के भारी कच्चे तेल : उपरोक्तानुसार लागू दरों से 25% कम

(ङ) वर्धित तेल निकास (ई ओ आर)/बेहतर तेल निकासी (आईओआर) के अधीन क्षेत्रों से उत्पादन पर, सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित स्वामिस्व की कम की गई दरें उदगृहीत की जाएंगी ।

ग. निजी/संयुक्त उद्यम के ठेकेदारों को दिए गए अपतट में खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन :  
दिशाना 1 : धारा 1(1)ख और 2(1)घ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए कच्चे तेल और तेल के  
शेष तेल को कूप मुख कीमत संबंधित उत्पादन अंशभाजन सविदाओं (पीएससी) में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर ।

अ. क्षेत्रों में निजी/संयुक्त उद्यम की (2) एनईएलपी व्यवस्था के अधीन क्षेत्रों से उत्पादन : निजी/संयुक्त उद्यम

स्वामिस्व की नई/संशोधित/संबंधित उत्पादन अंशभाजन सविदाओं (पीएससी) के अधीन उपवधों के अनुसार  
अवधारित दरों पर ।

## 2. केसन शीर्ष द्रवण

(1) नई खोज अनुज्ञप्ति नीति (एनईएलपी) व्यवस्था से बाहर के क्षेत्रों से उत्पादन

क. नामनिर्देशन खंड

(i) 1.4.1993 से 31.3.1996 : 539.20 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से

(ii) 1.4.1996 से 31.3.1998 : 603.95 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से

ख. राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) को नामांकन के आधार पर दिए गए क्षेत्रों, नई खोज अनुज्ञप्ति नीति से पूर्व निजी/संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को दिए गए खोज खंडों और निजी/संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को दिए गए भूमि पर खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन :

(i) 1.4.1998 से 31.3.2002 : संलग्न विवरण के अनुसार प्रति मीट्रिक टन की मासिक औसत दर ;

(ii) 1.4.2002 से

(क) भूमि पर के क्षेत्र : कूप मुख कीमत के 20% की दर पर

(ख) उथला जल अपतटीय क्षेत्र (400 मीटर तक की जल गहराई) :

कूप मुख कीमत के 10% की दर से

(ग) गहरा जल अपतटीय क्षेत्र (400 मीटर से अधिक की जल गहराई) :

वाणिज्यिक उत्पादन के पश्चात् पहले 7 वर्ष के दौरान कूप मुख कीमत के 5% की दर पर और अन्य अवधियों के दौरान उथला जल क्षेत्रों (400 मीटर तक की जल गहराई) को लागू सामान्य दरों पर ।

(घ) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/बेहतर तेल निकासी (आईओआर) के अधीन क्षेत्रों से उत्पादन पर, सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित स्वामित्व की कम की गई दरें उद्गृहीत की जाएंगी ।

ग. निजी/संयुक्त उद्यम के ठेकेदारों को दिए गए अपतट में खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन :

संबंधित उत्पादन अंशभाजन संविदाओं (पीएससी) में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर ।

(2) एनईएलपी व्यवस्था के अधीन क्षेत्रों से उत्पादन

संबंधित उत्पादन अंशभाजन संविदाओं (पीएससी) के अधीन उपबंधों के अनुसार अवधारित दरों पर ।

3. प्राकृतिक गैस : कूप मुख पर अभिप्राप्त प्राकृतिक गैस के मूल्य का दस प्रतिशत ।

टिप्पण 1 : उपर 1(1)ख और 2(1)ख के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए कच्चे तेल और केसन शीर्ष द्रवण की कूप मुख कीमत को, क्रमशः भूमि पर और अपतटीय उत्पादन के लिए कच्चे तेल और केसन शीर्ष द्रवण कीमत में से 7.5% और 10% की कटौती करके अवधारित किया जाएगा ।

स्वामित्व को निम्नलिखित रूप से सह-स्वामित्व आधार पर परिकलित किया जाएगा

$$\text{स्वामित्व की रकम} = \frac{\text{कूप मुख कीमत} \times \text{स्वामित्व दर}}{100 + \text{स्वामित्व दर}}$$

टिप्पण 2 : चूंकि संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने में कुछ समय लगा, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि स्वामिस्व की दर को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित किया जाए। इससे तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों को फायदा होगा और अन्य राज्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

कच्चा तेल और केसनशीर्ष द्रवण पर प्रति मीटरी टन की दर पर जैसा कि ऊपर 1(1)ख(i) और 2(1)ख(i) में वर्णित है, संदेय स्वामिस्व की मासिक औसत दरों का विवरण।

मासिक स्वामिस्व की दरों का विवरण

| मास                      | स्वामिस्व की दरें<br>रु./मीटरी टन | मास         | स्वामिस्व की दरें<br>रु./मीटरी टन |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| अप्रैल -98               | 411.31                            | अप्रैल -00  | 1055.88                           |
| मई -98                   | 409.46                            | मई -00      | 1037.69                           |
| जून -98                  | 414.09                            | जून -00     | 915.75                            |
| जुलाई -98                | 431.35                            | जुलाई -00   | 1100.28                           |
| अगस्त -98                | 415.32                            | अगस्त -00   | 1165.03                           |
| सितम्बर -98              | 450.01                            | सितम्बर -00 | 1126.65                           |
| अक्तूबर -98              | 431.35                            | अक्तूबर -00 | 1180.45                           |
| नवम्बर -98               | 483.15                            | नवम्बर -00  | 1331.69                           |
| दिसम्बर -98              | 462.8                             | दिसम्बर -00 | 1279.89                           |
| जनवरी -99                | 406.53                            | जनवरी -01   | 1298.23                           |
| फरवरी -99                | 368.45                            | फरवरी -01   | 973.71                            |
| मार्च -99                | 398.67                            | मार्च -01   | 1009.02                           |
| अप्रैल -99               | 374.77                            | अप्रैल -01  | 1104.29                           |
| मई -99                   | 511.06                            | मई -01      | 1040.62                           |
| जून -99                  | 569.64                            | जून -01     | 1091.19                           |
| 1 जुलाई से 14 जुलाई -99  | 569.64                            | जुलाई -01   | 1165.5                            |
| 15 जुलाई से 31 जुलाई -99 | 580.74                            | अगस्त -01   | 1171.05                           |
| अगस्त -99                | 602.17                            | सितम्बर -01 | 1066.21                           |
| सितम्बर -99              | 706.54                            | अक्तूबर -01 | 1113.39                           |
| अक्तूबर -99              | 769.29                            | नवम्बर -01  | 1106.76                           |
| नवम्बर -99               | 858.7                             | दिसम्बर -01 | 904.03                            |
| दिसम्बर -99              | 846.99                            | जनवरी -02   | 808.29                            |
| जनवरी -00                | 942.11                            | फरवरी -02   | 815.23                            |
| फरवरी -00                | 958.91                            | मार्च -02   | 851.77                            |
| मार्च -00                | 965.39                            |             |                                   |

[अ.सं. 1011/1/97-आएनजी-IV]

**MANISHANKAR AIVAR NOTIFICATION**

Minister of Petroleum and Natural Gas  
New Delhi, the 16th December, 2004

G.S.R. 813(E) In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section

6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, the Central Government hereby modifies the rates at which royalties shall be payable in respect of mineral oils, namely, Crude Oil, Casing Head Condensate and Natural Gas and makes the following further amendments in the said Act, namely:-

In the Oil fields (Regulation and Development) Act, 1948, for the Schedule, the following shall be substituted and entries thereto shall be deemed to have been substituted with effect from the dates specified hereunder, namely:-

**SCHEDULE**

(see section 6 A)

**RATES OF ROYALTY**

1. CRUDE OIL
- (1) PRODUCTION FROM AREAS OUTSIDE NEW EXPLORATION LICENSING POLICY (NELP) REGIME

A. NOMINATION BLOCKS

- (i) from 1.4.1993 to 31.3.1996: @ Rs. 539.20 Per Metric Tonne
- (ii) from 1.4.1996 to 31.3.1998: @ Rs. 603.95 Per Metric Tonne

B. PRODUCTION FROM AREAS OUTSIDE NEW EXPLORATION LICENSING POLICY (NELP) AND ONLAND DISCOVERED FIELDS AWARDED TO PRIVATE/JOINT VENTURE CONTRACTORS

- (i) from 1.4.1998 to 31.3.2002: Monthly average rate per Metric Tonne as per Statement appended

(ii) With effect from 1.4.2002:

- (a) Onland areas: @ 20% of Well Head Price
- (b) Shallow water offshore areas (upto 400 Mtr water depth):  
@ 10% of Well Head Price
- (c) Deep water offshore areas (> 400 Mtr. Water depth): @ 5 %  
of well head price during first 7 years after commercial  
production and normal rates as applicable to Shallow water  
areas (upto 400 Mtr. Water depth) during other periods.
- (d) Heavier Crude Oils of 25° API and less : 2.5% lesser than  
the applicable rates as above
- (e) Reduced rates of royalty, as may be notified by the  
Government from time to time, will be levied on  
production from fields under Enhanced Oil Recovery  
(EOR)/ Improved Oil Recovery (IOR).

**C. PRODUCTION FROM OFFSHORE DISCOVERED FIELDS  
AWARDED TO PRIVATE /JOINT VENTURE CONTRACTORS:**

At the rates as specified in respective Production Sharing Contracts  
(PSCs)

**(2) PRODUCTION FROM AREAS UNDER NELP REGIME:**

At the rates determined in accordance with the provisions under respective

Production Sharing Contracts (PSCs) natural gas obtained at well

**2. CASING HEAD CONDENSATE**

Notes: Well Head Price of Crude Oil and Casing Head Condensate for areas covered

under 1 (1) B and 2 (1) B above will be determined by industry 3304 and 3305

(1) PRODUCTION FROM AREAS OUTSIDE NEW EXPLORATION  
Crude Oil and Casing Head Condensate will be levied at the rates specified for onland and offshore  
production respectively.

**A. NOMINATION BLOCKS**

Royalty will be calculated as follows:  
(i) from 1.4.1993 to 31.3.1996 @ Rs 539.20 Per Metric Tonne

Royalty amount = (ii) from 1.4.1996 to 31.3.1998 @ Rs 603.95 Per Metric Tonne

**B. PRODUCTION FROM AREAS AWARDED ON NOMINATION BASIS TO**

Note 2: Since consultation with NATIONAL OIL COMPANIES (NOCs) EXPLORATION BLOCK

become necessary to bring (i) AWARDED TO PRIVATE /JOINT VENTURE (PRIVATE /JOINT

production States shall be levied at the rates specified for onland and offshore

DISCOVERED FIELDS AWARDED TO PRIVATE /JOINT VENTURE

CONTRACTORS

- (i) from 1.4.1998 to 31.3.2002 :Monthly average rate per Metric Tonne as per Statement appended:
- (ii) With effect from 1.4.2002:
  - (a) Onland areas: @ 20% of Well Head Price
  - (b) Shallow water offshore areas (upto 400 Mtr water depth): @ 10% of Well Head Price
  - (c) Deep water offshore areas (> 400 Mtr. Water depth): @ 5% of well head price during first 7 years after commercial production and normal rates as applicable to Shallow water areas (upto 400 Mtr. Water depth) during other periods.
  - (d) Reduced rates of royalty, as may be notified by the Government from time to time, will be levied on production from fields under Enhanced Oil Recovery (EOR)/ Improved Oil Recovery (IOR).

**C. PRODUCTION FROM OFFSHORE DISCOVERED FIELDS AWARDED TO PRIVATE /JOINT VENTURE CONTRACTORS:**  
At the rates as specified in respective Production Sharing Contracts (PSCs)

**(2) PRODUCTION FROM AREAS UNDER NPL REGIME:**

At the rates determined in accordance with the provisions under respective Production Sharing Contracts (PSCs).

**3. NATURAL GAS:** Ten per cent of the value of the natural gas obtained at well-head.

**Note 1:** Well Head Price of Crude Oil and Casing Head Condensate for areas covered under 1. (1) B. and 2. (1) B. above will be determined by deducting 7.5% and 10% of the Crude Oil and Casing Head Condensate price considered for onland and offshore production respectively.

Royalty will be calculated on Cum – royalty basis as under:

$$\text{Royalty amount} = \frac{\text{Well Head Price} \times \text{Royalty Rate}}{100 + \text{Royalty Rate}}$$

**Note 2:** Since consultations with the concerned State Governments took some time, it has become necessary to revise the rate of royalty with retrospective effect. The oil producing States stand to benefit and other States are not likely to be adversely affected.

STATEMENT OF MONTHLY AVERAGE RATES OF ROYALTY PAYABLE PER  
METRIC TONNE ON CRUDE OIL & CASING HEAD CONDENSATE AS  
MENTIONED AT 1(1) B (i) and 2. (1) B (i) ABOVE

Details of Monthly Royalty Rates

| Month              | Royalty rates | Month  | Royalty rates |
|--------------------|---------------|--------|---------------|
|                    | Rs/MT         |        | Rs/MT         |
| Apr-98             | 411.31        | Apr-00 | 1055.88       |
| May-98             | 409.46        | May-00 | 1037.69       |
| Jun-98             | 414.09        | Jun-00 | 915.75        |
| Jul-98             | 431.35        | Jul-00 | 1100.28       |
| Aug-98             | 415.32        | Aug-00 | 1165.03       |
| Sep-98             | 450.01        | Sep-00 | 1126.65       |
| Oct-98             | 431.35        | Oct-00 | 1180.45       |
| Nov-98             | 483.15        | Nov-00 | 1331.69       |
| Dec-98             | 462.8         | Dec-00 | 1279.89       |
| Jan-99             | 406.53        | Jan-01 | 1298.23       |
| Feb-99             | 368.45        | Feb-01 | 973.71        |
| Mar-99             | 398.67        | Mar-01 | 1009.02       |
| Apr-99             | 374.77        | Apr-01 | 1104.29       |
| May-99             | 511.06        | May-01 | 1040.62       |
| Jun-99             | 569.64        | Jun-01 | 1091.19       |
| 01Jul to 14 JUL-99 | 569.64        | Jul-01 | 1165.5        |
| 15Jul to 31 JUL-99 | 580.74        | Aug-01 | 1171.05       |
| Aug-99             | 602.17        | Sep-01 | 1066.21       |
| Sep-99             | 706.54        | Oct-01 | 1113.39       |
| Oct-99             | 769.29        | Nov-01 | 1106.76       |
| Nov-99             | 858.7         | Dec-01 | 904.03        |
| Dec-99             | 846.99        | Jan-02 | 808.29        |
| Jan-00             | 942.11        | Feb-02 | 815.23        |
| Feb-00             | 958.91        | Mar-02 | 851.77        |
| Mar-00             | 965.39        |        |               |

[F No 11011/97-ONG-IV]

SUNJOY JOSHI, J. Secy.